

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

**पंचायत निगरानी संख्या: 45/2020**

**प्रार्थी**

वीराराम पुत्र होसाजी, जाति-लौहार, निवासी-वराडा, तहसील व जिला-सिरोही (राज.)

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही (राज.)
2. दयालकुमार पुत्र हंसाजी, जाति-पुरोहित, निवासी-देलदर, तहसील व जिला सिरोही

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”**

**उपस्थिति:**

- (1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

**—: निर्णय :-**

**दिनांक 16 अप्रैल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार पुत्र हंसाजी पुरोहित, निवासी- देलदर के पक्ष में क्षेत्रफल 2310 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 05-01-2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मण्डवारिया से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गईं। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 08-4-2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी एवं पट्टा शुदा व खरीद शुदा भूखण्ड ग्राम देलदर, ग्राम पंचायत मण्डवारिया, तहसील व जिला- सिरोही की सरहद में आबादी भूमि में आवासीय केलुपोश मकान सहित आया हुआ है, जिसके भूखण्ड संख्या 65 व 64 है। उक्त भूखण्ड संख्या 65 व 64 जिनका कुल क्षेत्रफल नाप क्रमशः 2450 वर्गफीट व 2450 वर्गफीट है का ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 व पंचायत राज नियमों के अर्न्तगत आम नीलामी में मनाजी पुत्र खसालजी बन्दारा, निवासी-वराडा को विक्रय कर पट्टा जारी किया हुआ है, जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में दिनांक 03.12.1976 को क्रम संख्या 674 पर पंजीबद्ध करवाया गया था उपरोक्त आवासीय भूखण्ड मनाजी पुत्र खसाल जी बन्दारा, निवासी-वराडा का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रार्थी ने उनके वारिसान से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.03.2014 से क्रय किया था जो उप पंजीयन कार्यालय, सिरोही के पुस्तक संख्या 01 क्रम संख्या क्रमशः 607/2014 व 608/2014 पर पंजीबद्ध है। उक्त दोनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 4900 वर्गफीट हैं। प्रार्थी खास ग्राम वराडा का स्थायी निवासी है तथा मजदूरी व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है एवं प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा व क्रयशुदा .....पेज दो पर

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरोही (राज.)**



भूखण्ड संख्या 64 के उत्तर में आवासीय भूखण्ड, दक्षिण दिशा में हकमाचन्द पुत्र छोगाजी का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा व पूर्व दिशा में गली 5 फीट है व नाप पूर्व-पश्चिम 35 फीट व उत्तर-दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है। इसी तरह, प्रार्थी के उक्त भूखण्ड संख्या 65 के उत्तर दिशा में देवाजी पुत्र हिमाजी का भूखण्ड, दक्षिण में आवासीय भूखण्ड, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा एवं पूर्व दिशा में गली 5 फीट है तथा नाप पूर्व-पश्चिम 35 फीट व उत्तर-दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है। उक्त आवासीय भूखण्ड प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं एवं प्रार्थी ने खरीद के पश्चात् उक्त भूखण्ड पर अपनी तारबंदी करवाई हुई हैं। पूर्व में उक्त भूखण्ड में एक केलुपोश का मकान बना हुआ था तथा प्रार्थी का कब्जा निरन्तर अप्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा हैं तथा भूखण्ड पर निर्माण सामग्री, पत्थर भी पड़े हुए थे। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के हक हकूक को प्रभावित करते हुए प्रार्थी के कब्जे-स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी दयालकुमार के हक में रियायती दर पर एक पट्टा विलेख संख्या 01 दिनांक 05-01-2018 को जारी कर दिया है, जबकि ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि का पुनः किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को जब इस बात की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, मण्डवारिया को इस संबंध में सूचना दी, तो ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हैं हमने पट्टा जारी कर दिया हैं आप वैसे भी वराडा के निवासी है आपका देलदर में क्या काम हैं और उक्त प्लोट को भी क्या करेंगे, पंचायत ने स्थायी निवासी को पट्टा कांटकर दिया है प्रार्थी के द्वारा इस बात का विरोध करने पर पंचायत के सरपंच व सचिव दोनो ने यह कहा कि अब मात्र एक समझौता ही सहारा हैं एक काम करें आप एक प्लोट रख लो और एक प्लोट अप्रार्थी दयालकुमार को दे दो, इसी में आपकी भलाई है अन्यथा दोनो प्लोटो से हाथ धोना पड़ेगा, मैं आपको अप्रार्थी दयालकुमार से उसकी कीमत दिलवा देता हूँ। यह कि अप्रार्थी दयालकुमार ने उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, तब प्रार्थी को जानकारी हुई तथा प्रार्थी ने ग्राम पंचायत कार्यालय, मण्डवारिया में प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी दयालकुमार के हक में जारी पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाही तो पंचायत ने प्रार्थना पत्र लेकर अभी तक उक्त पट्टे की प्रतिलिपि प्रार्थी को अदा नहीं की। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी दयालकुमार के साथ मेल मिलाप कर प्रार्थी के स्वामित्व के प्लोट का अवैध तरीके से पट्टा जारी कर दिया हैं। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार को भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन किया हैं, जबकि अप्रार्थी दयालकुमार, रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता ही नहीं रखता था। अप्रार्थी दयालकुमार के पास ग्राम देलदर में पहले से आवासीय मकान स्थित हैं, इस कारण भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि को जरिये विक्रय विलेख खरीद किया हैं तथा मौके पर वर्तमान में कब्जे काबिज है। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया को कोई हक अधिकार नहीं है कि प्रार्थी के पट्टेशुदा व क्रयशुदा भूखण्ड एवं कब्जे मालकी के भूखण्ड का अप्रार्थी दयालकुमार के हक में पट्टा जारी करे। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार के हक में जारी उक्त पट्टा विलेख को देखने से यह स्पष्टतया जाहिर हैं कि उक्त पट्टा विलेख विधिक प्रक्रियाओं की पालना किये बिना फर्जी तरीके से बिना मिसल दायर किये व ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लिये बिना ही खुले आम नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए जारी किया हैं। उक्त फर्जी पट्टा विलेख के आधार पर अप्रार्थी दयालकुमार, जोर जबरदस्ती प्रार्थी के पट्टेशुदा व क्रयशुदा प्लोट के दरवाजे के आगे पत्थर डालकर जबरदस्ती दरवाजा बन्द करवाने पर आमदा है जो निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटो ग्राफ से जाहिर

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



हैं। यह कि ग्राम पंचायत को प्रार्थी के पट्टेशुदा व क्रयशुदा भूखण्ड का अप्रार्थी दयाल कुमार के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है तथा पट्टेशुदा भूमि का कानूनन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से पुनः पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। पश्चातवर्ती जारी पट्टा विधि अनुसार आरम्भतः शून्य है एवं ऐसे पट्टे के आधार पर अप्रार्थी दयालकुमार को प्रार्थी के पट्टेशुदा व क्रयशुदा भूखण्ड में कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा न ही प्रार्थी के हक अधिकार में बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार हैं एवं न ही प्रार्थी के भूखण्ड के आवागमन में बाधा, रूकावट करने का अधिकार ही हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार पुत्र हंसाजी पुरोहित, निवासी- देलदर के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 05-01-2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 (दयालकुमार) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या- 2 (दयालकुमार) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के दो भूखण्ड संख्या 65 व 64 मय केलुपोश मकान ग्राम देलदर में होने का कथन गलत है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में वर्णित चतुर्दशी व नाप का कोई भूखण्ड ग्राम देलदर में नहीं है। ग्राम देलदर में अप्रार्थी दयालकुमार का पंजीकृत पट्टेशुदा मालिकाना हक हिस्से वाला एक आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जिसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत, मण्डवारिया का आवासीय भूखण्ड संख्या 1 एवं उसके आगे चौथमल मेघवाल का भूखण्ड, दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत, मण्डवारिया का आवासीय भूखण्ड संख्या 3 जो वर्तमान में खाली है, पूर्व दिशा में 5 फीट गली व पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा है तथा नाप पूर्व-पश्चिम 33 फीट व उत्तर-दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2310 वर्गफीट है। इस प्रकार, निगरानी आवेदन में प्रार्थी द्वारा वर्णित चतुर्दशी व नाप का भूखण्ड अप्रार्थी के कब्जशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड से सर्वथा भिन्न हैं। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा कभी भी निगरानी आवेदन में वर्णित नाप व चतुर्दशी के भूखण्ड का पट्टा मनाजी पुत्र खसालजी के नाम से जारी नहीं किया है व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 18.09.1976 में 03.12.1976 को देखने मात्र से स्पष्ट है कि इन विक्रय विलेख में पट्टा संख्या का उल्लेख नहीं किया हुआ है तथा उक्त विक्रय विलेख में दर्शित चतुर्दशी व नाप अप्रार्थी दयालकुमार के भूखण्ड से सर्वथा भिन्न हैं अन्यथा भी ग्राम पंचायत, मण्डवारिया को विक्रय विलेख के जरिये जमीन का बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं है तथा सन् 1976 में उक्त भूमि बिलानाम सरकार की भूमि थी एवं यह भूमि सन् 2000 के आस पास आवासीय में संपरिवर्तन होकर ग्राम पंचायत के कब्जे अधिकार में आई थी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में पंचायत द्वारा जारी एक मात्र दस्तावेज पट्टा हैं और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त विक्रय विलेख को किसी भी रूप से पट्टे की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए उक्त विधि विरुद्ध दस्तावेज से प्रार्थी को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। उक्त प्लोट पर प्रार्थी का कच्चा झोपा होने व तारबन्दी करवाने का कथन गलत हैं। उक्त प्लोट पर कभी भी झोपा नहीं रहा एवं अप्रार्थी दयालकुमार ने उक्त भूखण्ड के चारों ओर कांटो की बाड़ कर कब्जा किया हुआ है एवं अप्रार्थी दयालकुमार व उसके परिवार वालों द्वारा ही उक्त भूखण्ड की सार सम्भाल की जा रही है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी दयालकुमार के पट्टे शुदा मालिकाना हक अधिकार वाले प्लोट को बेईमानी से हड़पने की नियत से रात को चोरी चुपे तारबन्दी की कोशिश की थी, परन्तु अप्रार्थी दयालकुमार व ग्राम पंचायत, मण्डवारिया के विरोध करने पर प्रार्थी उसमें सफल नहीं हो सका हैं एवं आज भी उक्त भूखण्ड के चारों ओर अप्रार्थी दयालकुमार ने कांटो की बाड़ कर आधिपत्य व कब्जे में ले रखा है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



दयालकुमार की पात्रता की जांच करने के पश्चात् उसकी पात्रता से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थी दयालकुमार को ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा उसकी पात्रता के आधार पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर नियमानुसार भूखण्ड आवंटन कर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी दयालकुमार या उसके परिवार के पास ग्राम पंचायत, मण्डवारिया की आबादी भूमि में कोई भूखण्ड नहीं है एवं अप्रार्थी गरीब तबके का व्यक्ति होने एवं उक्त भूखण्ड पर उसका पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है। प्रार्थी उसके द्वारा खरीद किये गये भूखण्डों की जमीन को अप्रार्थी दयालकुमार के भूखण्ड की जमीन होना बता रहा है जबकि अप्रार्थी दयालकुमार को जारी किये गये भूखण्ड की नाप व चतुर्दशी प्रार्थी के भूखण्डों से सर्वथा भिन्न है इसलिए किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा प्रार्थी की भूमि का पट्टा अप्रार्थी दयालकुमार को जारी किया है। पंचायत की आबादी भूमि की एक मात्र स्वामी ग्राम पंचायत होने से ग्राम पंचायत नियमानुसार पट्टा जारी करने के लिए सक्षम है तथा ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पूर्ण रूप से विहित प्रक्रिया अपनाते हुए व पात्रता की जांच करके भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत मण्डवारिया द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी को जारी किया गया है, वर्तमान में उस भूखण्ड का एक मात्र स्वामी अप्रार्थी दयालकुमार होने से अप्रार्थी दयालकुमार को अपने भूखण्ड का मनचाहा उपयोग उपभोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रार्थी के पुत्र द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार के इस भूखण्ड के संबंध में एक शिकायत जिला कलेक्टर महोदय, सिरौही के समक्ष प्रस्तुत की थी जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा विस्तृत जांच करने के पश्चात् अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2019 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2014001041 एवं 2014001042 में पट्टा संख्या व पट्टा प्रति का अभाव होने से उन्हें विधि विरुद्ध माना है तथा अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार के उपरोक्त वर्णित पट्टेशुदा भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा जबदस्ती तारबंदी व अवैध निर्माण की कोशिश की गई है। अप्रार्थी दयालकुमार का उक्त भूखण्ड पर कब्जा व हक अधिकार रहा है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी द्वारा अवैध दस्तावेजों के आधार पर उक्त दोनो विक्रय विलेखों को पंजीयन करवाया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 (दयालकुमार) के कब्जेशुदा, पट्टेशुदा व मालिकाना हक अधिकार के भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा प्राप्त करने के लिये यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो किसी भी प्रकार से परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत अप्रार्थी दयालकुमार पुत्र हंसाजी पुरोहित, निवासी- देलदर के पक्ष में क्षेत्रफल 2310 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 01 दिनांक 05-01-2018 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत इस नियम में वर्णित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं का आवासीय गृह या गृह स्थल नहीं है को पंचायत द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन है कि "प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी एवं पट्टा शुदा व खरीद शुदा भूखण्ड ग्राम देलदर, ग्राम पंचायत मण्डवारिया, तहसील व .....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)



जिला- सिरौही की सरहद में आबादी भूमि में आवासीय केलुपोश मकान सहित आया हुआ है, जिसके भूखण्ड संख्या 65 व 64 है। उक्त भूखण्ड संख्या 65 व 64 जिनका कुल क्षेत्रफल नाप क्रमशः 2450 वर्गफीट व 2450 वर्गफीट है का ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 व पंचायत राज नियमों के अर्न्तगत आम नीलामी में मनाजी पुत्र खसालजी बन्दारा, निवासी-वराडा को विक्रय कर पट्टा जारी किया हुआ है, जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरौही में दिनांक 03.12.1976 को क्रम संख्या 674 पर पंजीबद्ध करवाया गया था उपरोक्त आवासीय भूखण्ड मनाजी पुत्र खसाल जी बन्दारा, निवासी-वराडा का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रार्थी ने उनके वारिसान से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.03.2014 से क्रय किया था जो उप पंजीयन कार्यालय, सिरौही के पुस्तक संख्या 01 क्रम संख्या क्रमशः 607/2014 व 608/2014 पर पंजीबद्ध है। उक्त दोनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 4900 वर्गफीट हैं। प्रार्थी खास ग्राम वराडा का स्थायी निवासी है तथा मजदूरी व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है एवं प्रार्थी के उक्त पट्टेशुदा व क्रयशुदा भूखण्ड संख्या 64 के उत्तर में आवासीय भूखण्ड, दक्षिण दिशा में हकमाचन्द पुत्र छोगाजी का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा व पूर्व दिशा में गली 5 फीट है व नाप पूर्व-पश्चिम 35 फीट व उत्तर-दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है। इसी तरह, प्रार्थी के उक्त भूखण्ड संख्या 65 के उत्तर दिशा में देवाजी पुत्र हिमाजी का भूखण्ड, दक्षिण में आवासीय भूखण्ड, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा एवं पूर्व दिशा में गली 5 फीट है तथा नाप पूर्व-पश्चिम 35 फीट व उत्तर-दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट है। उक्त आवासीय भूखण्ड प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं एवं प्रार्थी ने खरीद के पश्चात् उक्त भूखण्ड पर अपनी तारबंदी करवाई हुई हैं।" प्रार्थी का यह भी कथन है कि "ग्राम पंचायत, मण्डवारिया के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के हक हकूक को प्रभावित करते हुए प्रार्थी के कब्जे-स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी दयालकुमार के हक में रियायती दर पर एक पट्टा विलेख संख्या 01 दिनांक 05-01-2018 को जारी कर दिया है, जबकि ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि का पुनः किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है।"

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त भूखण्ड संख्या 65 संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डवारिया (विक्रेता) द्वारा श्री मनाजी पुत्र खसालजी बन्दारा, निवासी- वराडा (क्रेता) के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 674 दिनांक 03.12.1976 की छाया प्रति एवं भूखण्ड संख्या 64 के संबंध में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 586 दिनांक 18-9-1976 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, प्रार्थी ने श्री गोविन्द पुत्र मनाजी, जाति-बन्दारा, निवासी- वराडा व अन्य द्वारा भूखण्ड संख्या 65 के संबंध में प्रार्थी वीराराम पुत्र होसाजी लुहार, निवासी- वराडा द्वारा के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 2014000607 दिनांक 06-3-2014 की छाया प्रति व भूखण्ड संख्या 64 के संबंध में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2014000608 दिनांक 06-3-2014 की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है, परन्तु प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 64 व 65 के संबंध में उक्त श्री मनाजी पुत्र खसालजी बन्दारा, निवासी- वराडा के पक्ष में जारी मूल पट्टों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। जबकि अप्रार्थी दयालकुमार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही के जांच प्रतिवेदन दिनांक 10-7-2019 (जो विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिरौही के पत्र क्रमांक/पंससि/पंचायत/2019/871 दिनांक 06-2-2019 के क्रम में प्रस्तुत किया .....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)



हैं) की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की उक्त रजिस्ट्रीयों में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा प्रति व पट्टा संख्या का अभाव है, मौके पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी दयाल कुमार पुत्र हंसाजी के भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा जबरन तारबन्दी निर्माण अवैध रूप से कर निर्माण स्वीकृति चाही है जो ग्राम पंचायत की कार्यवाही व दस्तावेज से प्रमाणित होती है। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही के उक्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी का उक्त स्थल पर तारबन्दी निर्माण से पूर्व कब्जा नहीं होना जांच में पाया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 10-7-2019 के अनुसार दयाल कुमार पुत्र हंसाजी को ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में पट्टा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत की अधिकारिता क्षेत्र में है। प्रकरण में अप्रार्थी दयालकुमार की ओर प्रस्तुत दस्तावेज, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिरौही के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 04/2019 (CIS No.04/2019) अनवान वीराराम बनाम लक्ष्मणराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17-9-2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह पाया गया कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिरौही द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता विरुद्ध अप्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

इस प्रकार, प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इस स्तर पर यह साबित नहीं होता है कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी दयालकुमार को प्रार्थी के क्रयशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी दयालकुमार पुत्र हंसाजी पुरोहित, निवासी- देलदर रियायती दर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता हो तथा उसके पास पूर्व से आवासीय गृह या आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हो। चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवाद सम्पत्ति के कब्जे व स्वामित्व का है एवं सम्पत्ति के कब्जे व स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार संक्षम सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही